

कार्यालय उपनिदेशक (वि०/यॉ०) फोन न० 0120-2897629
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद ,उ०प्र०

नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद।

पत्रांक:- वि०/यॉ०/गा०/2011 - 2593

दिनांक 7.9.11

अल्प कालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदा वित्तीय रुप से सुदढ मण्डी परिषद मे विद्युत / यात्रिक कार्य मे अनुभवी ठेकेदारों से दिनांक 24.09.11 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओ अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निविदा आमत्रण तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय से कार्य दिवस मे, सम्भागीय उप निदेशक (प्र०/विप०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद नवीन मण्डी स्थल अलीगढ के कार्यालय से कार्य दिवस मे अथवा भारतीय स्टेट बैंक सी-17-18 सेक्टर 15 वसुन्धरा गाजियाबाद के शाखा से निर्धारित मूल्य जमानत धनराशि आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र जमा करके प्राप्त किये जा सकते है।

क्र० स०	कार्य का नाम	निविदा का मूल्य	बयाने की धनराशि	कार्य पूर्ण करने का समय	श्रेणी
01	नवीन उप मण्डी स्थल टप्पल -खैर (अलीगढ)				
(अ)	कार्यालय भवन, बैंक भवन कम पोस्ट आफिस, अ श्रेणी 02 नग (ग्रेन मण्डी), ब श्रेणी 10 नग (ग्रेन मण्डी), स श्रेणी 10 नग (ग्रेन मण्डी), ब श्रेणी दुकाने 02 नग (सब्जी मण्डी), स श्रेणी दुकाने 05 नग (सब्जी मण्डी) कैन्टीन 01 नग, नीलामी चबूतरा(12 X 44) मी० 02 नग, चेक पोस्ट कम ट्यलेट 02 नग, पम्प हाऊस में आन्तरिक विद्युतीकरण एल० टी० डिस्ट्रीब्यूसन लाइन, एच०टी० लाइन, 160 के०वी०ए क्षमता के ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूसन पैनल, केबिल की आपूर्ति/ स्थापना एवं तत्संबधी अन्य कार्य।	3,000/00	4,28,000/00	नौ माह	अ
(ब)	200 एम० एम० डायल के नलकूप निर्माण, 7.5 एच० पी० क्षमता सबमर्सिबल पम्प की आपूर्ति/ स्थापना एवं तत्संबधी अन्य कार्य	500/00	86,000/00	छः माह	-

- नोट:-**(1) बयाने की धनराशि का एफ० डी० आर० / सी० डी० आर० / नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रुप मे जो उप निदेशक (वि०/यॉ०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद गाजियाबाद के नाम बंधक होनी चाहिये निविदा क्रय करते समय जमा करना अनिवार्य होगा इसके अभाव मे निविदा निर्गत किया जाना सम्भव नही होगा।
- (2) निविदा आमत्रण तिथि 24.09.11 को यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस मे प्राप्त एवं खोली जायेगी। शेष नियम एवं शर्ते कार्यालय कार्य अवधि मे किसी भी समय देखी जा सकती है।
- (3) निविदा मे किसी भी प्रकार का निगोशियेशन नही किया जायेगा और निविदा खुलने के पश्चात प्राप्त दरे ही अन्तिम दरे होगी और उसी के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- (4) निविदा के दरे मे दशमलव के पूर्व शून्य अंकित न होने (0 से 1 प्रतिशत के मध्य दरे होने पर) एवं दरे शब्दो मे न भरे होने पर निविदा को अवैध मानते हुए उस पर विचार नही किया जायेगा।
- (5) निविदा के साथ रु० 100.00 का स्टाम्प पेपर जो ट्रेजरी कार्यालय से जारी हुआ हो, के साथ रु० 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य है इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं निविदा को अवैध मान लिया जायेगा।
- (6) क्रमांक 1 (ब) पर अंकित निविदा उन्हीं फर्मों को निर्गत की जाएगी जिनके पास उपरोक्त कार्य कराने का अनुभव होगा, तथा निविदा कय करते समय अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निर्गत नहीं की जाएगी।
- (7) शासनादेश संख्या 4435 / छ:-पु०-14-06-50(7)/2006 दिनांक 02.11.06 के अनुसार जिलाधीकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र को रु० 100/00 के स्टैम्प पेपर पर भर कर प्रारूप टी-6के रुप मे शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (8) निविदा मूल्य का 13.50 प्रतिशत वैट अलग से देय होगा।
- (9) निविदा मण्डी परिषद के विभागीय बेवसाईट [www. Upmandiparishad.in](http://www.Upmandiparishad.in) पर भी उपलब्ध है।

A3
07/9/11
(अवधेश सिंह)
उपनिदेशक (वि०/यॉ०)